

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट



बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 के अनुषंगी वितरण कम्पनियों (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0) के अंतर्गत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता के 02 (दो) पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02 (दो) पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 के अनुषंगी वितरण कम्पनियों (नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0) के अंतर्गत द्वि-स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये जाने हेतु मुख्य अभियंता के 02 (दो) पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 02 (दो) पद सृजित करने की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय प्रदव)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

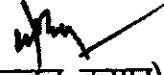
18
70

2

संचिका संख्या— SIPB2410000710

प्रेस नोट

मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक (मधुबनी) प्राइवेट लिमिटेड, राजनगर रेलवे स्टेशन सोनवारी के नजदीक, परिहारपुर, मधुबनी को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में 50000 MT अनाज भण्डारण हेतु साइलो निर्माण इकाई की स्थापना करने हेतु 8325.00 लाख (तेरासी करोड़ पच्चीस लाख रुपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ-साथ कुल 109 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कामगारों का नियोजन हो सकेगा।


(कुन्दन कुमार)
सचिव

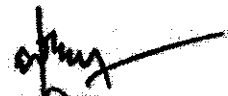
बिहार सरकार
उद्योग विभाग

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना" का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 30 सितम्बर, 2026 तक किये जाने के फलस्वरूप उक्त अवधि में योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित व्यय की राशि ₹ 16451.60 लाख (एक सौ चौसठ करोड़ इक्यावन लाख साठ हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

राज्य के अन्तर्गत उत्पादित उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन, आधुनिक तथा नई तकनीक लगाने हेतु इस योजना अन्तर्गत सभी श्रेणी के व्यक्तिगत निवेशकों/उद्यमी को सूक्ष्म खाद्य उद्योग अधिष्ठापित करने हेतु 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10.00 (दस) लाख रुपये एवं समूह में 35 प्रतिशत का पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है।

इस योजना के बारे में निवेशकों/उद्यमियों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से भी जागरूक किया जायेगा, ताकि अधिक से अधिक निवेशक/उद्यमी इस योजना का महत्व एवं जानकारी प्राप्त कर उद्योग स्थापित कर सकेंगे।


सचिव

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

(4)

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
प्रेस नोट

बिहार राज्य में मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता एवं आधुनिक मत्स्य अवसंरचना के विकास करने की आवश्यकता है। इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" किये जाने से राज्य के मात्स्यिकी एवं जल कृषि की संपूर्ण वैल्यू चेन एवं आधारभूत संरचनाओं के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, मत्स्य प्रसंस्करण, व्यापार, वैज्ञानिक मत्स्य पालन तकनीक की प्रशिक्षण तथा मनोरंजन गतिविधियों को समेकित रूप से समग्र विकास होगा। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ एवं रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे तथा मछुआरों/मत्स्य कृषकों का आर्थिक उत्थान भी होगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के तहत "इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना" हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश रुपये 18,72,55,000/- (अठारह करोड़ बहत्तर लाख पचपन हजार) तथा राज्यांश रुपये 12,48,37,000/- (बारह करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार) अर्थात् कुल रुपये 31,20,92,000/- (इकतीस करोड़ बीस लाख बानवे हजार) मात्र राशि की लागत पर योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

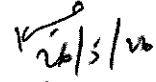

सचिव

5

बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

प्रेस विज्ञापित

राज्य सरकार एवं भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड के बीच हुये एकरारनामा के आलोक में "नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना" योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नबीनगर, औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 05 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, स्थापना हेतु कुल 38 (अड़तीस) पदों का सृजन तथा रूपये 211.89 लाख (रूपये दो करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार मात्र) प्रति वर्ष राशि का व्यय एवं भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड, नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएँ एकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति किया गया है।



सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत सात निश्चय पार्ट-3 (2025-30) के अंतर्गत दोगुना रोजगार-दोगुनी आय के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार सृजन हेतु बिहार कौशल विकास मिशन के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता, कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त आवश्यकता आधारित 19 (उन्नीस) पदों के सृजन एवं अनुमानित रू० 224.37 लाख (दो करोड़ चौबीस लाख सैंतीस हजार) प्रति वर्ष की राशि के व्यय की स्वीकृति से बाजार मांग के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक रोजगारपरक कौशल ज्ञान प्रदान करने एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में वास कर रहे युवक-युवतियों को लाभ पहुँचाने में सहायता मिलेगी।


(कौशल किशोर)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
प्रेस नोट

बिहार बाल विकास सेवा संवर्ग के पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु बिहार बाल विकास सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015 गठित है। इस नियमावली की कंडिका-4 की उपकंडिका-(1) के अनुसार संवर्ग के 25 प्रतिशत पद (कुल स्वीकृत 544 पदों में से 136 पद) अधीनस्थ सेवा में से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका से भरे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में नियमित महिला पर्यवेक्षिका (फीडर कैंडर) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त चिन्हित पदों पर शत-प्रतिशत नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जिसके कारण आई0सी0डी0एस0 निदेशालय अंतर्गत संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में कठिनाईयाँ आ रही हैं तथा कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इस निमित्त बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015 की कंडिका-4 की उपकंडिका-(1) के प्रावधान को एक बार के लिए शिथिल करते हुए नियमित महिला पर्यवेक्षिका की अनुपलब्धता के आलोक में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त किये जाने हेतु चिन्हित 25 प्रतिशत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर सीधी नियुक्ति से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना आवश्यक है। इसके लिए नियमावली की कंडिका-4 की उपकंडिका-(3) के पश्चात उपकंडिका-(4) जोड़ा जाना है।

उक्त के दृष्टिगत बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गयी है।

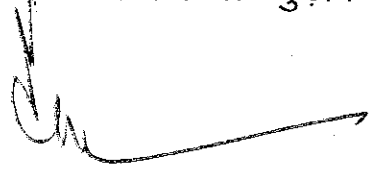

(एच0 आर0 श्रीनिवास)
अपर मुख्य सचिव
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

②

आई०टी० क्षेत्रों के विस्तार एवं बदलते हुए आयाम में सूचना तकनीकी के बढ़ते उपयोग ने प्रमंडलीय कार्यालयों/जिला स्तरीय कार्यालयों एवं प्रखण्डों में IT Requirements (Hardware/Software/Automation) की आपूर्ति अनिवार्य आवश्यकताएँ बन गई हैं। सूचना प्रावैधिकी संबंधित केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की नीति, विविध कानून का प्रवर्तन एवं अनुपालन मुख्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयों तक सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

आई०टी० परियोजनाओं में क्षेत्रीय स्तर तक उत्तरोत्तर हो रहे वृद्धि के मद्देनजर विभागीय नीतियों का क्रियान्वयन एवं परियोजनाओं के Rollout करने में विभिन्न विभागों के प्रमंडलीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के साथ समन्वय, सहयोग, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के निमित्त बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली का गठन के उपरान्त विभाग का जिला/क्षेत्रीय कार्यालय सृजित होगा तथा इन स्तरों पर जिला ई-गवर्नेंस पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी के पदस्थापन से आम नागरिकों का विभाग से डिजिटल जुड़ाव एवं क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं का निदान संभव होगा।

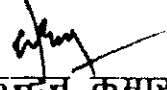

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

**बिहार सरकार
उद्योग विभाग।**

संचिका संख्या—SIPB2401000005

प्रेस नोट

मेसर्स वरूण वेभरेजेज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, नवानगर, बक्सर में कार्बोनेटेड साफ्ट ड्रिंक पेट-19.10 मिलियन केसेस, जुस बेस्ड ड्रिंक पेट-2.2 मिलियन केसेस, जुस बेस्ड ड्रिंक टेटरा-1.8 मिलियन केसेस, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर-4.4 मिलियन केसेस, बिबरेजेज बेस्ड सिरप-1.0 लाख एवं सोलर पॉवर जेनेरेशन-3 मेगावाट इकाई की स्थापना हेतु कुल 48351.56 लाख (चार सौ तेरासी करोड़ इकावन लाख छप्पन हजार रुपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ-साथ कुल 400 कुशल एवं अकुशल कामगारों का प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा।


(कुन्दन कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

16

प्रेस नोट

दरभंगा जिलान्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के लिए चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उड़ाहीकरण से प्राप्त मिट्टी/गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं समतलीकरण कार्य करने हेतु जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गयी है।


01.06.26
सरकार के अपर सचिव
५

66/20
11

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा (सामान्य एवं विशेषज्ञ)/दंत चिकित्सक सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

छिरिड वाई मुटिया 2/6/24
(छिरिड वाई मुटिया)
सरकार के विशेष सचिव

12/5/70

सं०सं०-14/एम10-100/2006 (खण्ड-2)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को ईलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा ₹ 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रुपये से बढ़ाकर ₹ 4,00,000 (चार लाख) रुपये करने से राज्य के अधिक-से-अधिक मरीजों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।


2.6.76
(शंभु शरण)
अपर सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

कैमूर जिलान्तर्गत अंचल-मोहनियाँ के मौजा-दादर, थाना सं०-524, खाता सं०-127, खेसरा सं०-654 की कुल प्रस्तावित रकवा-07 एकड़ अर्जित अधिशेष भूमि पर डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पदनाम :-

जय सिंह

सचिव